राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक : प. 6(5)प्र.सु./अनु–3/2017 **जयपुर, दिनांक :** 23-02-2017

<u>आज्ञा</u>

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति में लागू किये गये पुनरीक्षित वेतनमान (पे लेवल) के दृष्टिगत राज्य कर्मचारियों के लिये राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में विद्यमान रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे के संदर्भ में पुनरीक्षित वेतनमान (पे लेवल) निर्धारित करने हेतु श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में समिति का गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1. श्री डी.के. मित्तल – राजस्थान लेखा सेवा की हायर सुपर टाईम स्केल से सेवानिवृत अधिकारी।
2. श्री एम.पी. दीक्षित – राजस्थान लेखा सेवा की सुपर टाईम स्केल से सेवानिवृत अधिकारी।

उक्त समिति निम्न बिन्दुओं पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को तीन माह में प्रस्तुत करेगी :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे के दृष्टिगत केन्द्रीय कर्मचारियों पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू किये गये वेतनमान (पे लेवल) के संदर्भ में वेतन लेवल निर्धारित किये जाने के लिये सिफारिश।
2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में राज्य कर्मचारियों को वेतनमान (पे लेवल) का लाभ दिये जाने से राज्य सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आंकलन करते हुए राज्य कर्मियों के वेतनमान के संबंध में समुचित सिफारिश।
3. राज्य कर्मचारियों को देय विभिन्न भत्तों, विशेष भत्तों एवं विशेष वेतन की देयता एवं दरों का परीक्षण कर रिपोर्ट/सुझाव।

समिति का कार्यालय वित्त भवन में होगा। समिति अपने कार्य की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।

समिति का प्रशासनिक विभाग वित्त (नियम) विभाग होगा। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय मानदेय एवं सुविधाएें पृथक से निर्धारित की जायेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

23/2/17

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत आई.ए.एस।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयुपर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. श्री डी.के. मित्तल, सेवानिवृत राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी।
10. श्री एम.पी. दीक्षित, सेवानिवृत राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी।
11. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
12. रक्षित पत्रावली।

23/2/2017

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी